शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क./नि.स./आयुक्त/म.प्र.रा.शै.अ.प्र.प./2020/25 भोपाल, दिनांक 18 जून 2020

आदेश

वर्तमान में कोविड–19 परिस्थितियों के फलस्वरूप अकादमिक सत्र में उत्पन्न हुये अवरोध की अवधि में कतिपय शालाओं द्वारा निरन्तर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 (1) में प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रकिया के संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 18 (1) अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र की इकाई राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

2/– उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार /छात्र –छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रीचार्ज की समस्या भी परिलक्षित हो रही है । कतिपय स्त्रोतों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निजी शालाओं द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षायें संचालित की जा रही हैं। दूरस्थ शिक्षा विशेषकर मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिए उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 18 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये विद्यार्थी की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन निम्न तालिका में उल्लेखित अवधि के लिए किया जा सकेगा :–

क	कक्षा समूह	समयावधि
1.	प्री प्रायमरी	पूर्णतः प्रतिबंधित
2.	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	पूर्णतः प्रतिबंधित
3.	माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	प्रतिदिन 2 सत्र, अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र

3/ ऑनलाइन कक्षाओं की रिकार्डिंग भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे की विद्यार्थी तथा अभिभावक उसे अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सके।

4/ NCERT द्वारा तैयार किये गये दिशा निर्देश "SAFE ONLINE LEARNING IN TIMES OF COVID- 19" का पालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ.क. / नि.स. / आयुक्त / म.प्र.रा.शै.अ.प्र.प. / 2020 / 26 भोपाल, दिनांक 18 जून 2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, आदिवासी विकास विभाग की ओर सूचनार्थ
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल ।
4. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म0प्र0 भोपाल ।
5. संभाग आयुक्त, समस्त संभाग म0प्र0 ।
6. कलेक्टर जिला समस्त म0प्र0
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला समस्त म0प्र0 ।
8. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग समस्त म0प्र0
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म0प्र0
11. जिला परियोजना समन्वयक जिला समस्त म0प्र0

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र